पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-936
दिनांक-26.04.2025

जोन- मध्य / थाना-आलमबाग

- **01 नफर वांरटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय एवं श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) जनपद लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व वारण्टियों के विरूद्ध गिरफ्तारी हेतु अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उप आयुक्त (मध्य) एवं अपर पुलिस उपायुक्त(मध्य) एवं सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के कुशल परिवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक आलमबाग के नेतृत्व में अभियान के दौरान थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

विवरण क्रमशः निम्न प्रकार है। परिवाद सं0 20776/2009 मु0अ0स0 173/2006 धारा 307/401 भादवि थाना आलमबाग लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त सरजू गुप्ता पुत्र कन्हैयाला गुप्ता निवासी– रंजीत नटवा नटखेड़ा थाना कृष्णानगर आलमबाग लखनऊ के विरुद्ध मा0 न्यायालय DISTRICT AND SESSIONS JUDGE LUCKNOW SPL.JUDGE PC ACT-I लखनऊ द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू को आलमबाग मेट्रो के नीचे से गिरफ्तार कर वारण्ट के सार से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

02-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01-सरजू गुप्ता पुत्र कन्हैयाला गुप्ता निवासी–रंजीत नटवा नटखेड़ा थाना कृष्णानगर आलमबाग

03-अपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0स0-173/2006 धारा 307/401 भादवि थाना आलमबाग लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

01-उ0नि0 शुभम मेहंदियान थाना आलमबाग लखनऊ

02-उ0नि0 शिवप्रकाश सिंह थाना आलमबाग लखनऊ

03-हेड कांस्टेबल बृजेन्द्र कुमार थाना आलमबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-933
दिनांक-26.04.2025

पश्चिमी जोन/थाना अमीनाबाद

- **मोबाइल चोरी करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन बरामद।**
- **थाना अमीनाबाद पुलिस की कार्यवाही।**

01-कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय द्वारा चोरी करने वाले अपराधियों की रोकथाम व पंजीकृत अभियोगों मे वांछित चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में व **पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के निर्देशन तथा अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) व सहायक पुलिस आयुक्त, कैसरबाग** के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना अमीनाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना अमीनाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2025 धारा 303(2) /317(2)/ 61(2) BNS बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1.फुरकान पुत्र नजर मोहम्मद निवासी रहीमनगर डुडौली थाना मड़ियांव, लखनऊ उम्र 40 वर्ष 2. मो0 आमिर उर्फ लड्डू पुत्र मो0 शकील निवासी केशव भवन तालाब गनी शुक्ला म0नं0 108/62 कोतवाली कैसरबाग लखनऊ उम्र- 30 वर्ष को चोरी के 01 अदद मोबाइल के साथ कल दिनांक 25.04.2025 को समय 22.30 बजे श्रीराम चौराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी।

02-संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.04.2025 को थानाक्षेत्र स्थित लाटूश रोड के किनारे रात में शो रहे वादी दिलीप रस्तोगी पुत्र रमेश रस्तोगी नि0-ऐरा मिल खमरिया गांव बेहटा थाना महरिया जनपद लखीमपुर खीरी हालपता-बाम्बे फर्चीनचर लाटूश रोड अमीनाबाद लखनऊ का मोबाइल चोरी के सम्बन्ध में कल दिनांक 25.04.25 को मु0अ0सं0 24/25 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री मृत्युंजय सिंह की जा रही है। विवेचना के दौरान उ0नि0 द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर श्रीराम चौराहे के पास से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01.फुरकान पुत्र नजर मोहम्मद निवासी रहीमनगर डुडौली थाना मड़ियांव, लखनऊ उम्र 40 वर्ष 02. मो0 आमिर उर्फ लड्डू पुत्र मो0 शकील निवासी केशव भवन तालाब गनी शुक्ला म0नं0 108/62 कोतवाली कैसरबाग लखनऊ उम्र- 30 वर्ष को चोरी के 01 अदद मोबाइल के साथ कल दिनांक 25.04.2025 को समय 22.30 बजे गिरफ्तार कर अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/ 61(2)बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. फुरकान पुत्र नजर मोहम्मद निवासी रहीमनगर डुडौली थाना मड़ियांव, लखनऊ उम्र 40 वर्ष

2. मो0 आमिर उर्फ लड्डू पुत्र मो0 शकील निवासी केशव भवन तालाब गनी शुक्ला म0नं0 108/62 कोतवाली कैसरबाग लखनऊ उम्र- 30 वर्ष।

04-बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद मोबाइल समसंग, EMEI N0 350386305515487 रंग सिल्वर ग्लेक्सी (A34, 5G) बरामद।

05-आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 210/22 धारा 379/411 भादवि थाना हसनगंज लखनऊ (अभियुक्त फुरकान उपरोक्त)

2- मु0अ0सं0 188/20 धारा 379/411/414 भादवि थाना अमीनाबाद लखनऊ (अभियुक्त मो0 आमिर)

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री मृत्युंजय सिंह थाना अमीनाबाद लखनऊ

2- उ0नि0 रमेश कुमार सोनकर थाना अमीनाबाद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-938

दिनांक 26.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- बंथरा

- **पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

ग्राम लोनहा थाना बंथरा लखनऊ की रहने वाली पीड़िता उम्र करीब 24 वर्ष के साथ अभियुक्त जसवंत रावत पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम गौरीशंकरखेड़ा मजरा कुरौनी थाना बन्थरा जनपद लखनऊ द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया जाना व पीड़िता के द्वारा शादी करने की बात कहने पर उसको गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादिनी/पीड़िता द्वारा थाना बंथरा लखनऊ पर दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल दिनांक 25.04.25 को मु0अ0सं0 173/2025 धारा 69/351(3)/352 बीएनएस बनाम जसवंत रावत उपरोक्त के पंजीकृत हुआ।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व कार्यवाही के क्रम में दिनांक 25.04.25 को बिजनौर मोड़ थाना बंथरा के पास से अभि0 जसवंत रावत उम्र करीब 24 वर्ष उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसे आज न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

02-पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त जसवंत रावत पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम गौरीशंकरखेड़ा मजरा कुरौनी थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मै पीड़िता को जानता हूँ। वह मेरी रिश्तेदार है। मै कई बार उसके घर ग्राम लोनहा में भी गया हूँ। वहीं पर हमलोग एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुझसे गलती हो गयी है। मुझे मांफ कर दो। अब पीड़िता मुझसे शादी का दबाव बना रही है। मै अपनी सफाई जरिए अधिवक्ता माननीय न्यायालय में दूंगा।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 173/2025 धारा 69/351(3)/352 बीएनएस थाना बंथरा लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.जसवंत रावत पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम गौरीशंकरखेड़ा मजरा कुरौनी थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष (व्यवसाय - प्राइवेट नौकरी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिव प्रकाश (विवेचक) थाना बंथरा लखनऊ
2. उ0नि0 शशांक मिश्रा थाना बंथरा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-939
दिनांक-26.04.2025

जोन-दक्षिणी/थाना-बिजनौर

- **तिलक समारोह मे हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद घटना में प्रयुक्त 0.32 बोर अवैध देशी पिस्टल मय 01 अदद मैगजीन, 01 अदद जिंदा कारतूस 0.32 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 0.32 बोर बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.04.2025 को थाना बिजनौर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अनूप खेड़ा थाना बिजनौर में हर्ष फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना बिजनौर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि राजकुमार यादव पुत्र स्व0 दुर्गादीन निवासी अनूप खेड़ा थाना बिजनौर लखनऊ के पुत्र आकाश का तिलक चढ़ रहा था। लड़की पक्ष ग्राम चुन्नूखेड़ा थाना पारा लखनऊ से तिलक लेकर आए हुए थे, तिलक चढ़ रहा था कि इसी दौरान शत्रोहन यादव पुत्र हरीयादव नि0 ग्राम चुन्नुखेडा थाना पारा लखनऊ द्वारा नाजायज देसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की घटना घटित की गयी है। जिसमें लड़की पक्ष का अमित यादव उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र स्व0 महेश यादव नि0 चुन्नूखेड़ा थाना पारा लखनऊ गम्भीर रूप से घायल हो गया है। जिसका ईलाज लोकबन्धु अस्पताल में चल रहा है। घायल के द्वारा थाना बिजनौर में तहरीर देकर चुन्नू खेड़ा निवासी शत्रोहन यादव और बबलू यादव के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया।

विवेचना के दौरान आज दिनांक 26.04.2025 को अलीनगर खुर्द अण्डरपास के पास से शत्रोहन यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से 01 अदद घटना में प्रयुक्त 32 बोर देशी देशी पिस्टल अवैध मय एक कारतूस व खोखा कारतूस के बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार थाने पर लाकर दाखिल कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- शत्रोहन सिंह यादव पुत्र स्व. हरीयादव निवासी ग्राम चुन्नू खेड़ा थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष

03-अपराध की प्रकृति-

तिलक के दौरान वादी मुकदमा पर फायरिंग करना।

04-बरामदगी –

- 01 अदद घटना में प्रयुक्त 0.32 बोर अवैध देशी पिस्टल मय 01 अदद मैगजीन
- 01 अदद जिंदा कारतूस 0.32 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 0.32 बोर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-935
दिनांक-26.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- **थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण करते हुए वांछित 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार करते हुए 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.04.2025 को वादी मुकदमा श्री गुड्डू श्रीवास्तव पुत्र श्री परमेश्वर शर्मा निवासी-मामा कालोनी फैज्जुलागंज पुलिस चौकी घैला थाना मडियाँव जनपद लखनऊ मय हमराह भतीजा शुभम पुत्र संतोष निवासी मामा कालोनी थाना-मडियाँव लखनऊ के उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित टाइपशुदा दस्तखती खुद के बाबत वादी के पुत्र अनिल श्रीवास्तव उम्र लगभग 21 वर्ष की प्रतिवादीगण द्वारा गालीगलौज लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हुये जान मारने की धमकी देने तथा पुत्र की हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किया।

दाखिला तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 224/2025 धारा 103(1)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस बनाम 1.पूनम शर्मा आदि विरूद्ध के पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन से मुकदमा उक्त में जुर्म धारा 103(1) बीएनएस के अपराध न पाये जाने पर धारा 103(1) बीएनएस से धारा 108 बीएनएस में तरमीम किया गया।

आज दिनांक 26.04.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम पेडिंग विवेचना जाँच आदि में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता व उसका साथी लडका इस समय कैरियर मेडिकल चौराहा से थोडा आगे दुबग्गा जाने वाली सडक के किनारे कहीं जाने की फिराक में खडे है। यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है।

मुखबिर द्वारा बताये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम पलक शर्मा पत्नी स्व0 अनिल शर्मा पुत्री मल्हू शर्मा निवासिनी दुर्गापुरी कालोनी अल्लूनगर थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष तथा दूसरा ने बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष है।

अभियुक्ता व बाल अपचारी उपरोक्त को थाना मडियांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 224/25 धारा 108/115(2)/351(2)/352 बीएनएस से अवगत कराते हुए अभियुक्ता पलक शर्मा उपरोक्त को महिला पुलिस द्वारा समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बाल अपचारी उपरोक्त समय 10.30 बजे पुलिस (सादे वस्त्रों में) की निगरानी में लिया गया।

दौरान गिरफ्तारी/निगरानी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त व बाल अपचारी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-931
दिनांक: 26.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

भीड़-भाड़ वाली जगहों यथा सब्जी मण्डी, मार्केट, मेलों आदि जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का फर्दाफाश।

- **गिरोह के 02 शातिर चोर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 79 अदद विभिन्न कंपनियों के मल्टीमीडिया मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत 12 लाख रूपये) बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा चोरी किये गये मोबाइल को इकट्ठा करके बिक्री कर किया जाता था धनोपार्जन।**
- **चोरी किये गये मोबाइल फोन के ट्रेस होने से बचने के लिए नेपाल राज्य में ले जाकर करते थे बिक्री।**
- **अपराध शाखा लखनऊ व थाना मड़ियांव की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 26.04.2025 को थाना मडियांव एवं क्राइम टीम जनपद लखऊ की संयुक्त पुलिस टीम थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम पेडिंग विवेचना में ताडीखाना क्रासिंग सीतापुर रोड़ पर थी कि जरिये मुखबिर खास द्वारा पास आकर बताया कि मड़ियांव पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास 02 व्यक्ति जिनमें से एक स्कूटी से है व दूसरा अर्टिगा कार से है, दोनों आपस में कार में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये लोग जगह जगह घूम कर मोबाइल चोरी करते हैं और चोरी के मोबाइलों को नेपाल ले जाकर बेंच देतें है, आज भी इन लोगों के पास काफी संख्या में चोरी के मोबाइल मौजूद हैं जिसको यह लोग नेपाल ले जाकर बेंचनें की फिराक में है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। मुखबिर की सूचना के आधार पर बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों ने नाम पता पूछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम **मोहम्मद तारिक पुत्र स्व0 अतहर अली निवासी 355/297 कुप्पेवाली गली मौलवीगंज थाना अमीनाबाद जनपद लखनऊ उम्र- 49 वर्ष** तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम **विपिन श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव निवासी बाबागंज थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच उम्र- 28 वर्ष** बताया। बताये गये व्यक्तियों के कब्जे से अलग-अलग कंपनी के, टेप से बंधे हुए कुल 79 मोबाइल फोन बरामद हुआ।

बरामद मोबाइल फोन के सम्बन्ध में पूछने पर दोनों ने बताया कि हम लोगों ने मिलकर अलग अलग जगहों से चोरी करके इकट्ठा किया है। हम लोग इन सभी मोबाईल फोन को नेपाल ले जाकर बेचतें हैं क्योंकि अपने देश में मोबाइल ट्रेस हो जाती है जबकि नेपाल में मोबाइल ट्रेस नहीं होती है जिस कारण पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं रहता है।

पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 303(2) /317(2)/317(4) बी0एन0एस0 अवगत कराते हुए समय करीब 05.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। फर्द बरादमगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/25 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

मौके पर खड़ी अर्टिगा वाहन सं0 UP32PZ6457 तथा स्कूटी वाहन सं0 UP32NC8512के कागजात न दिखाने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्तगण द्वारा अलग अलग जगहों से मोबाइल चोरी करके, इकट्ठा करके मोबाईल फोन के ट्रेस होने से बचने के लिए नेपाल ले जाकर बेच देना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मोहम्मद तारिक पुत्र स्व0 अतहर अली निवासी 355/297 कुप्पेवाली गली मौलवीगंज थाना अमीनाबाद जनपद लखनऊ उम्र- 49 वर्ष (व्यवसाय- ई रिक्शा चालक)।
2. विपिन श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव निवासी बाबागंज थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच उम्र- 28 वर्ष(व्यवसाय- चालक)।

04-अनावरित अभियोग

01-मु0अ0सं0 233/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियांव

01-मु0अ0सं0 234/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियांव

01-मु0अ0सं0 212/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज

गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जनपद के अन्य थानों व जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05-बरामदगी:-

अलग अलग कम्पनियों के कुल 79 मल्टीमीडिया मोबाइल

(अनुमानित कीमत 12 लाख रूपये)

06-गिरफ्तारी करने थाना मडियांव लखनऊ की वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्रा
2. उ0नि0 श्रीआलोक कुमार चौधरी
3. उ0नि0 श्रीअखिलेश सिंह
4. उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार
5. उ0नि0 श्री शुभम तिवारी
6. का0 अभिषेक कुमार
7. का0 दिग्विजय यादव

06-अपराध शाखा कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस टीम

01. उ0नि0 श्री आशुतोष पाण्डेय
02. उ0नि0 श्री शुभम परासर
03. उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह
04. हे0का0 अतुल कुमार पाण्डेय
05. हे0का0 हबीब खान
06. हे0का0 मो0 असलम
07. हे0का0 अमित कुशवाहा
08. हे0का0 इंद्रप्रताप सिंह
09. हे0का0 जीत सिंह
10. हे0का0 मनोज कुमार शुक्ला
11. हे0का0 दिलीप
12. हे0का0 धीरज
13. हे0का0 पवन
14. का0 सूरज सिंह
15. का0 नाहर सिंह
16. का0 मुकेश
17. का0 देशराज मुखिया

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-937
दिनांक 26.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 07 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण-

दिनांक 25.04.2025 को थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुयी जी20 चौराहे पर देशी शराब ठेके के पास दो पक्षों के मध्य वाद विवाद हो रहा है तथा दूसरी सूचना दिनांक 26.04.2025 को प्राप्त हुयी कि हसनपुर खेवली में दो पक्ष आपस में किसी बात को लेकर के आपस में वाद विवाद व हाथापाई कर रहे हैं तथा तीसरी सूचना दिनांक 26.04.2025 प्राप्त हुयी कि बड़ी रोटरी नियर लूलू मॉल के पास एक लड़का महिला से लड़ाई कर रहा है चौथी सूचना दिनांक 26.04.2025 प्राप्त हुयी कि एक शिकायती प्रार्थना पत्र गुनगुन यादव के द्वारा बताया गया कि विपक्षी भी मौजूद है विपक्षी से ऐसा करने का कारण पूछा तो बहस कर रहा है तत्पश्चात अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

जांच प्रार्थना पत्र के क्रम में - दिनांक 25.04.2025 को उ0नि0 कनक कुमार यादव को थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुयी जी20 चौराहे पर देशी शराब ठेके के पास दो पक्षों के मध्य वाद विवाद हो रहा है मौके पर जाकर देखा तो प्रथम पक्ष सत्यवीर यादव पुत्र पनवारी निवासी देशी शराब की दुकान जी20 चौराहा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ स्थाई पता ग्राम दुर्गापुर पडरी, थाना ईषानगर जिला लखीमपुर खीरी उम्र 19 वर्ष तथा द्वितीय पक्ष प्रभास पाल पुत्र धर्मपाल निवासी निलमथा डिप्टीगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ स्थाई पता ग्राम चिरौली पोस्ट चौपाई थाना सोहरामऊ जिला उन्नाव उम्र 28 वर्ष शराब के ठेके पर चखने के पैसे को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे मौके पर दोनो पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन दोनो पक्ष और उग्र होकर एक दूसरे पर आमादा फौजदारी होने लगे जिससे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। संज्ञेय अपराध कारित होने से रोकने के लिए व परिशांति कायम रखने के दृष्टिगत अभियुक्त गण उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 21.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 26.04.2025 को उ0नि0 दीपक कुमार को थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुयी कि हसनपुर खेवली में दो पक्ष आपस में किसी बात को लेकर के आपस में गुथ्थम - गुथ्था हो रहे हैं। इस सूचना पर मैं उ0नि0 मय पुलिस टीम के मौके पर पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष के (1) अन्शू मौर्य पुत्र औसान मौर्य निवासी- ग्राम हसनपुर खेवली थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ व द्वितीय पक्ष के (1) राहुल शर्मा पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी ग्राम हसनपुर खेवली थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ, मोटरसाईकिल में से चाबी निकालने की बात को लेकर आपस में तेज तेज आवाज में चिल्लाकर के गाली गलौज करते हुए गुथ्थम-गुथ्था हो रहे हैं। हम पुलिस वालों द्वारा दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन कोई मानने को तैयार न होकर और अधिक उग्र होकर आमादा फौजदारी होने लगे। मौके पर संज्ञेय अपराध होने से रोकने व शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत उभयपक्षों को मौके से आज दिनांक 26.04.2025 समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 26.04.2025 को उ0नि0 शिवाकान्त तिवारी को थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुयी कि बड़ी रोटरी नियर लूलू मॉल के पास एक लड़का (जावेद उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्र जमाल अहमद निवासी शरीफ मंजिल हुसैनाबाद थाना चौक, जनपद लखनऊ) महिला से लड़ाई कर रहा है, उक्त सूचना पर मैं उ0नि0 शिवाकान्त तिवारी मय पुलिस टीम के बड़ी रोटरी नियर लूलू मॉल के पास पहुँचे तो देखा कि अंकिता पाण्डेय पुत्री राजू पाण्डेय नि० 30/2 साइड न० 1 किदवई नगर कानपूर हाल पता B -30 F 1 PM आवास योजना थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ पर जावेद उपरोक्त जोर जोर से चिल्ला रहा हैं, और उग्र होकर आमादा हो रहा हैं तथा शोर करते हुए शांति व्यवस्था भंग कर रहा है, हम पुलिस बल द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया परन्तु जावेद उपरोक्त लगातार उग्र होकर उत्तेजित हो रहे है और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे है, मौके पर संज्ञेय अपराध को घटित होने से रोकने हेतु सिवाय गिरफ्तारी के अन्य कोई विकल्प न होने पर जावेद उपरोक्त को मौके पर गिरफ्तारी के कारणों तथा उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए मौके पर समय लगभग 11.30 बजे गरिफ्तार किया गया।

दिनांक 26.04.2025 को उ0नि0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह को थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुयी कि एक शिकायती प्रार्थना पत्र गुनगुन यादव के द्वारा प्राप्त है विपक्षी भी मौजूद है विपक्षी से ऐसा करने का कारण पूछा तो बहस कर रहा है इस सूचना पत्र हम पुलिस बल मौके पर पहुंचे तो देखा कि विपक्षी 1 .फैज खान पुत्र सरफुद्दीन खान उम्र- 27 वर्ष निवासी- एलआईजी 513 पार्थ अद्यान्त थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ मूल पता- जफरा बाजार थाना तिवारी पुर जनपद गोरखपुर ।मो0- 8957155977 2. समीर शाह पुत्र नौशाद शाह उम्र- 23 वर्ष निवासी – 303 टावर 10 सनब्रीज 1बीबीडी ग्रीन सिटी थाना बीबीडी लखनऊ । मो0- 6386802789 अपनी गल्ती न मानते हुए आवेदिका व उसके दोस्तों से आमादा फौजदारी हो रहे थे । मौके पर हम पुलिस बल के द्वारा समझाया गया परन्तु नहीं माने और अधिक उग्र हो गये ।मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम रखने का अन्य कोई उपाय न देख थाना परिसर के बाहर से कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर अभियुक्तगण फैज खान व समीर शाह उपरोक्त को समय करीब – 12.05 बजे तत्पश्चात अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. सत्यवीर यादव पुत्र पनवारी निवासी देशी शराब की दुकान जी20 चौराहा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ स्थाई पता ग्राम दुर्गापुर पडरी, थाना ईषानगर जिला लखीमपुर खीरी उम्र 19 वर्ष
2. प्रभास पाल पुत्र धर्मपाल निवासी निलमथा डिप्टीगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ स्थाई पता ग्राम चिरौली पोस्ट चौपाई थाना सोहरामऊ जिला उन्नाव उम्र 28 वर्ष
3. अन्शू मौर्य पुत्र औसान मौर्य निवासी- ग्राम हसनपुर खेवली थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब- 22 वर्ष
4. राहुल शर्मा पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी ग्राम हसनपुर खेवली थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष
5. जावेद उम्र पुत्र जमाल अहमद निवासी शरीफ मंजिल हुसैनाबाद थाना चौक, जनपद लखनऊ लगभग 33 वर्ष
6. फैज खान पुत्र सरफुद्दीन खान निवासी- एलआईजी 513 पार्थ अद्यान्त थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ मूल पता- जफरा बाजार थाना तिवारी पुर जनपद गोरखपुर उम्र- 27 वर्ष
7. समीर शाह पुत्र नौशाद शाह निवासी 303 टावर 10 सनब्रीज1,बीबीडी ग्रीन सिटी थाना बीबीडी लखनऊ उम्र- 23 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-934
दिनांक-26.04.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **डीजल चोरी कर रहे 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से एक अदद प्लास्टिक गैलन 20 ली0 जिसमें 03 लीटर डीजल मय पाईप बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.04.2025 को वादी मुकदमा श्री योगेन्द्र सेठ सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ. प्र. परिवहन निगम कैसरबाग डिपो के द्वारा सूचित किया गया कि चकबस्त चौराहे से सी.एम.ओ की रोड पर बहराइच डिपो की बस से डीजल निकलवाते हुए मय पाइप व पीपिया के दो व्यक्ति पकड़े गये।

जिसमे वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर थाना वजीरगंज लखनऊ पर मु0अ0सं0 103/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएसपंजीकृत किया गया था जिसके क्रम में दिनांक 26.04.2025 को अभियुक्तगण 1. शरीफ अहमद पुत्र स्व0 निसार अहमद उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम नाजिरपुरा थाना सिटी कोतवाली जिला बहराईच 2. परवेज आलम पुत्र मो0 जाहिद उम्र 44 वर्ष निवासी 500/27 कुतुबपुर डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ को गिरफ्तार किया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-शरीफ अहमद पुत्र स्व0 निसार अहमद उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम नाजिरपुरा थाना सिटी कोतवाली जिला बहराईच

02-परवेज आलम पुत्र मो0 जाहिद उम्र 44 वर्ष निवासी 500/27 कुतुबपुर डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ

03-पंजीकृत अभियोग—

01-मु0अ0सं0 103/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ

04-बरामदगी:-

- एक अदद प्लास्टिक गैलन 20 ली0 जिसमें 03 लीटर डीजल मय पाईप

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र मिश्र थाना वजीरगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अशोक सिंह थाना वजीरगंज लखनऊ
3. का0 मोहित कुमार थाना वजीरगंज लखनऊ
4. का0 संजित यादव थाना वजीरगंज लखनऊ